



Neutral Citation No. - 2026:AHC:14728

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट ए संख्या 586 सन् 2026

राजीव कुमार

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

.....प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता

: जितेंद्र पाल सिंह चौहान

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता

: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री जे.पी.एस. चौहान और राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री गौरव सिंह को सुना गया।
2. याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उनके पिता ऋषिपाल सिंह को 28.02.2019 को संग्रह चपरासी के पद पर नियुक्त किया गया था और उन्हें 20.03.2021 को स्थायी कर दिया गया था। हालांकि, 29.03.2021 को याचिकाकर्ता के पिता का निधन हो गया। याचिकाकर्ता अनुकंपा नियुक्ति की मांग करता है।
3. दूसरी ओर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता का निवेदन है कि याचिकाकर्ता के दावे पर प्रथम दृष्ट्या प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा निर्णय लिया जाना आवश्यक है।
4. बार में दिए गए निवेदनों पर विचार करते हुए, रिट याचिका का निस्तारण करते हुए याचिकाकर्ता को निर्देश दिया जाता है कि वह रिट याचिका की स्व-सत्यापित प्रति और आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ एक विस्तृत प्रत्यावेदन प्रति प्रत्यर्थी संख्या 2 के समक्ष प्रस्तुत करे, जिस पर प्रत्यर्थी आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से दो माह की अवधि के भीतर कानून के अनुसार याचिकाकर्ता के दावे पर विचार करेगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



21 जनवरी 2026

एन.एस.राठौर

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

Translated Version Not For Legal Use

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।